राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूनड (आर.ए.एस.)

राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट :– अटल सेवा केन्द्र शाहजहांपुर

प्रार्थना पत्र संख्या [illegible]/2017 | रजू दिनांक 03.04.2017 | निर्णय दिनांक 28.06.2018

राजस्थान

1. विमला उर्फ कुसुम पुत्री रामावतार जाति अहीर नि0 कौलादपुर तह0 नीमराना हाल पत्नी [illegible] नि0 [illegible] तहसील [illegible]

बनाम —प्रार्थीगण

1. रामावतार पुत्र हरीराम
2. [illegible]
3. कृष्ण कुमार पुत्रान रामावतार जाति अहीर नि0 कौलादपुर तह0 नीमराना।
4. उप पंजीयक नीमराना।

—— प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0

उपस्थित– श्री एन.डी. शर्मा योग्य अधिवक्ता वादीगण/प्रार्थीगण की ओर से

—: निर्णय:—

दिनांक :– 28.06.2018

वादीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र रहा कि:–

1. प्रार्थनी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी ख.नं. हाल 670, 1085, 1106, 1108, 1123, 1125, 1131, 1138, 1139 वाके ग्राम शाहजहापुर तह0 नीमराना में स्थित है जो साबिक ख.नं. 308, 381, 425, 428, 443, 452, 467, 470, 479, 484, 568, 569 से कायम हुये है। विवादित आराजी वादनी के दादा हरिराम की खातेदारी की आराजी थी। हरिराम की मृत्यु बाद उनकी विरासत का इंतकाल सं. 228 वारिसान रामावतार प्यारेलाल सांवतसिहं पि0 हरीराम के नाम स्वीकृत हुआ तथा बंटवारा में उक्त सम्पूर्ण आराजी वादनीके पिता के हिस्से में आयी। विवादित आराजी पैतृक आराजी है। जिस पर वादनी का हक व हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं. 1 विवादित आराजी को प्रतिवादी सं. 2,3 के नाम करवाना चाहता है जिससे वादनी को हानि होगी।
2. यदि अप्रार्थीगण अपने इस इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपने जायज कानूनी अधिकारों से वंचित रहना पडेगा जिससे वादी को ऐसी असहनीय हानि होगी जिसे अर्थ में नही नापा जा सकेगा। इसलिए प्र0पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जाना लाजिम आया है।

वादीगण/प्रार्थीगण ने अनुतोष चाहा है कि:–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि आराजी ख.नं. हाल 670, 1085, 1106, 1108, 1123, 1125, 1131, 1138, 1139 वाके ग्राम शाहजहापुर तह0 नीमराना को बेचान नही करे, मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। वादी को जबरन बेदखल नही करे।

उप खण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

(3) वाद पत्र/प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रा0पत्र पेश नही किया है।

(4) वादी/प्रार्थी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में यथा छायाप्रति नकल जमाबंदी हाल साबिक नकल मिलान हो0 पेश किये गये जो शामिल पत्रावली है।

(5) बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0 पत्र बिन्दूओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी चन्दरोजा से मूल दावे के निर्णय तक पाबंद किया जावे कि वो वादी को बेदखल नही करे, आराजी का बेचान नही करे।

(6) पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का सम्यक समाधान है कि वर्तमान में हम प्रार्थना पत्र धारा 212 का निर्णय कर रहे है। अन्य सभी बिन्दुओ पर वाद के निर्णय के समय विस्तार से विवेचन करेगें। प्रार्थना पत्र 212 में प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू पर विचार किया जाता है। इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आराजी ख.नं. हाल 670, 1085, 1106, 1108, 1123, 1125, 1131, 1138, 1139 वाके ग्राम शाहजहापुर तह0 नीमराना में स्थित है। चूंकि विवादित आराजी पैतृक एवं दादालाई की आराजी है जिसमें सभी जायज वारिसान का हक व हिस्सा निहित है जिसकी वाद के निर्णय में विवेचना की जावेगी। अतः न्यायालय उभयपक्षकारान को ताफैसला वाद पाबंद किया जाना न्यायोचित पाता है कि वो आराजी ख.नं. हाल 670, 1085, 1106, 1108, 1123, 1125, 1131, 1138, 1139 वाके ग्राम शाहजहापुर तह0 नीमराना के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

—ःआदेशः—

अतः उभयपक्षकारान को ताफैसला वाद पाबंद किया जाता है कि वो विवादित आराजी ख.नं. हाल 670, 1085, 1106, 1108, 1123, 1125, 1131, 1138, 1139 वाके ग्राम शाहजहापुर तह0 नीमराना के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें।

आज दिनांक 28.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा न्याय आपके द्वार लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शाहजहांपुर में लिखाया जाकर वाद हस्ताक्षर सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार बुनकर)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उप खण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)